लहरिया महोत्सव मनाया : मदनगंज-किशनगढ़, में लहरिया महोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष आशा वैष्णव ने बताया की नृत्य संगीत व सुमधुर भजनो के बिच आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कशिश चतुर्भुजा, द्वितीय मानवी टिलावत, तृतीय वैशाली सुरसुरानंदी रही।

नाम परिवर्तन

मैं महेन्द्र पुत्र भेरूलाल निवासी ग्राम डिंडवाड़ा सदर बाजार, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) यह घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र का नाम पहले किशन दमामी था। मैंने इसका नाम परिवर्तन कराकर अब किशन चौहान करवा लिया है। वर्तमान में मेरे पुत्र का सभी दस्तावेजो में नाम किशन चौहान ही दर्ज है। भविष्य में उसे इसी नाम से जाना और पहचाना जाएगा। इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज कराये, बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होंगी।

आम सूचना

मैसर्स श्री हनुमन्ते ग्रेनेटो प्लॉट नं. 2 खसरा नं. 151 पार्ट प्लॉट नं. 18 व 19 खसरा नं 155/3, 155/5 गांव रहीमपुरा तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज.) शपथपूर्वक निम्न बयान करते है कि यह है कि पूर्व में इस फर्म में हम 4 भागीदार थे (1) श्री अजित कुमार वैष्णव (2) श्री श्रवणराम (3) श्री मांगीलाल माली (4) श्री खोमाराम जाखड दिनांक 7 मई 2025 से (1) श्री मांगीलाल माली, (2) श्री खेमाराम जाखड स्वेच्छा से फर्म से रिटायर्ड हो रहे है। इसी दिनांक 7 मई 2025 से (1) श्री मांगीलाल फर्म में नये भागीदार के रूप मे शामिल हो रहे है, जिसमे हम सभी भागीदारो की सहमति है। तथा वर्तमान में इस भागीदारी फर्म मे हम निम्न भागीदार है (1) श्री अजित कुमार वैष्णव (2) श्री श्रवणराम (3) श्री मांगीलाल इस आम सुचना से अगर किसी को आपति हो तो सुचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस मे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कार्यालय (जिला उद्योग केन्द्र) अजमेर में सुचित करे, अन्यथा बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा। अजित कुमार वैष्णव, हनुमन्ते ग्रेनेटो

LSG/BEAWAR/MUT/2025/141833
DATE :- 29.07.2025 रजि. बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /6383 दिनांक-19/08/2025

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती कोमल रामचंदानी पत्नी श्री दीपक राम चंदानी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 5 कॉलेज मार्ग ऋषभ ट्रेड सेंटर का अंग ग्राउंड फ्लोर दुकान नं. 3 क्षेत्रफल 39.05 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकार्ड में श्रीमती विनिता ओस्तवाल पुत्र श्री विजयराज व श्रीमती स्वाती ओस्तवाल पत्नी श्री संजयराज ओस्तवाल के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 07.03.2024, 29.08.2024 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नही होगी।- आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/140356
DATE :-18.07.2025 मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा पत्र

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26 /6384 दिनांक-19/08/2025

सार्वजनिक सूचना

श्री जय कुमार ठाकुर व श्री किशोर कुमार पुत्र श्री अर्जुन लाल ठाकुर, निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. प्रताप नगर गली नं. 5 मु नं. 8/538 मकान नं. 12 का भाग 1 क्षेत्रफल 291.77 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकार्ड में स्व. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि स्व. श्री अर्जुन लाल जी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06/02/2025 व 18/02/2025 व सजरा प्रमाण पत्र व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नही होगी।- आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-190 क्षेत्रफल 175.50 वर्ग मीटर आवंटी/अन्तरिति(1) जय किशन भगतानी पुत्र सावलदास भगतानी निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 22/11/16 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः(1) प्रकाश भगतानी (2) नरेन्द्र भगतानी (3) जयंत कुमार भगतानी पुत्रगण स्व. जय किशन भगतानी (4) श्रीमती कांता पुत्री स्व. जयकिशन भगतानी पत्नि दिलीप कुमार निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार (1) प्रकाश भगतानी (2) नरेन्द्र भगतानी (3) जयंत कुमार भगतानी पुत्रगण स्व. जयकिशन भगतानी निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य पुष्कर रोड अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 15/7/2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-200 क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर आवंटी/अन्तरिति (1) जय किशन भगतानी पुत्र सावलदास भगतानी (2) श्रीमती चम्पा भगतानी पत्नि स्व. जयकिशन भगतानी (3) प्रकाश भगतानी पुत्र स्व. जयकिशन भगतानी निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर जिसमें (1) जयकिशन भगतानी की मृत्यु दिनांक 22/11/16 (2) चम्पा भगतानी की मृत्यु दिनांक 21/11/24 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) प्रकाश भगतानी (2) नरेन्द्र भगतानी (3) जयंत कुमार भगतानी पुत्रगण स्व. जय किशन भगतानी (4) श्रीमती कांता पुत्री स्व. जयकिशन भगतानी पत्नि दिलीप कुमार निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार (1) प्रकाश भगतानी (2) नरेन्द्र भगतानी (3) जयंत कुमार भगतानी पुत्रगण स्व. जयकिशन भगतानी निवासी हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य पुष्कर रोड अजमेर के पक्ष में निष्पादित हक त्याग पत्र दिनांक 15/7/2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों केनाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम,अजमेर

झलकारी बाई स्मारक के पास, पंचशील नगर,अजमेर

दूरभाष-0145-249953, फैक्स- 0145-2433813, Email-ajmermc@gmail.com.webajmermc.org

क्रमांकः न.नि.अ/69-ए/2025-26/4586 आपत्ति सूचना दिनांकः 14/8/25

श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री बाबू, निवासी- 94/23 किशन गुरनानी देहली गेट के बार अजमेर द्वारा प्रस्तावित स्थल, शास्त्री कॉलोनी छोटी नागफनी पुष्कर रोड अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 95.55 वर्गगज है का नगर निगम अजमेर में धारा 69-ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित स्थल की सीमाएं निम्नानुसार है।

पूर्व : अन्य की सम्पति — पश्चिम : आम सड़क हरि की सम्पति

उत्तर : आम रास्ता — दक्षिण : कालु व रमेश की सम्पति

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप/आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी भी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा की किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आक्षेप/आपति नहीं है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा। -उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक-906 जाहिर आम सूचना दिनांक-19-08-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3/22, अजयनगर अजमेर क्षेत्रफल 30.94 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री भगवान मोतिवानी पुत्र श्री दयाराम को आवंटित कर दिनांक 09.05.1985 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया। श्री भगवान मोतिवानी पुत्र श्री दयाराम द्वारा आवास का बेचान जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारनामा एवं वसीयतनामा के श्री दयालदास पुत्र श्री आसनदास को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्री दयालदास पुत्र श्री आसनदास के पक्ष में दिनांक 27.05.2013 को नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। श्री दयालदास पुत्र श्री आसनदास द्वारा दिनांक 04.06.2013 को नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। श्री दयालदास पुत्र श्री आसनदास की मृत्यु दिनांक 10.05.2021, श्रीमती कविता पत्नि स्व. श्री दयालदास की मृत्यु दिनांक 21.04.2025 एवं श्री सुनील पुत्र श्री दयालदास की मृत्यु दिनांक 26.04.2021 को हो जाने के कारण उनकी पुत्री स्व. श्री दयालदास द्वारा मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्रीमती जया पुत्री स्व. श्री दयालदास ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती जया पुत्री स्व. श्री दयालदास का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक-903 जाहिर आम सूचना दिनांक-18-08-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3-क-22, अजयनगर, अजमेर क्षेत्रफल 166.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री जीवत एस वरवानी पुत्र श्री सीरूमल को आवंटित कर दिनांक 09.05.1979 को आवास का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री जीवत एस वरवानी पुत्र श्री सीरूमल द्वारा दिनांक 26.10.2004 को आवास का पंजीयन करवा लिया गया। श्री जीवत एस वरवानी पुत्र श्री सीरूमल मृत्यु दिनांक 24.05.2023, श्रीमती देवी वरवानी पत्नि श्री जे.एस. वरवानी की मृत्यु दिनांक 15.09.1998, श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री जीवत राम वरवानी की मृत्यु दिनांक 29.10.2012 एवं श्री घनश्याम वरवानी पुत्र श्री जीवत राम की मृत्यु दिनांक 15.10.2024 को हो जाने के कारण श्रीमती वर्षा पत्नि स्व. श्री जगदीश कुमार एवं श्री पीयूष वरवानी पुत्र स्व. श्री जगदीश वरवानी द्वारा मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती वर्षा एवं श्री पीयूष वरवानी के पक्ष में श्रीमती दिव्या पर्वानी पुत्री स्व. श्री जीवत एस वरवानी एवं पत्नि श्री नरेन्द्र परवानी, श्रीमती निकिता बालानी पुत्री स्व. श्री जीवत एस वरवानी एवं पत्नि श्री हरीश कुमार, श्रीमती आशा वरवानी पुत्री स्व. श्री जीवत एस वरवानी पत्नि श्री नरेश कुमार, श्रीमती मुस्कान टहिल्यानी पुत्री स्व. श्री जीवत एस वरवानी पत्नि श्री अजय टहिल्यानी एवं श्रीमती विभा वरवानी पुत्री स्व. श्री जगदीश कुमार एवं पत्नि श्री अनिल लालवानी द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्रीमती वर्षा एवं श्री पीयूष वरवानी ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती वर्षा एवं श्री पीयूष वरवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित है। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे है और अनियमित हो गए है, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्रमांक	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि	सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	61943054	संपत्ति पर ऋण	31.07.2025	4,39,101.18/-

ऋणप्रहिताओं एवं सह ऋणप्रहिताओं का नामः 1. नन्दा राम, 2. मंजू देवी

सम्पत्ति पता- प्लाट पट्टा नं. 17/1997, मिसल नं. 17/1997, प्लाट एरिया 3068 वर्ग फिट, ग्राम-गुरहा साल्ट, ग्राम पंचायत-गुरहा साल्ट, पंचायत समिति-कुचामन सिटी, जिला-नागौर, राजस्थान-341509 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है- पूर्व-गोपी राम का मकान, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-रामलाल का मकान, दक्षिण-रामेश्वर लाल का मकान

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

दिनांक- 20.08.2025
स्थान- नागौर

27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सब्सिडी

■ सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला

अजमेर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्याधारा से जुड़ सकें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने के लिए विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष एक नवम्बर को शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है।

गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी नहीं करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तयों से 5662268 पात्र वचिंतों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है। उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियाँ बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बल्कि उन्हें 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रूपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें - कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है। गिव अप अभियान के तहत जिले में 29 हजार एक लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सीडी छोड़ कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

रक्तवीर बरमेचा सम्मानित

अजमेर। अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित 'रक्तवीर सम्मान समारोह' में 'रक्तवीर सम्मान' 50 या उससे अधिक बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता को सम्मानित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित 'रक्तवीर सम्मान समारोह' के मुख्यम अतिथि लोकसभ अध्यक्ष ओम बिरला, विशिष्ठ अतिथि उपराज्यपाल लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश) कविन्द्र गुप्ता एवं केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल रहे। इस दौरान रक्तवीर सम्मान समारोह में अजमेर निवासी राकेश बरमेचा को विशिष्ठ अतिथि उपराज्यपाल लद्दाख कविन्द्र गुप्ता द्वारा स्मृति चिन्ह व दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि अजमेर निवासी राकेश बरमेचा अब तक 99 बार रक्तदान कर चुके है।

अग्रसेन जयंती 14 को, वाहन रैली निकाली जायेगी

अजमेर, (कासं)। अग्रकुल प्रवर्तक श्री अग्रसेन महाराज की 5149वी जयन्ती इस बार धूम धाम से मनाई जाएगी, इस बार 11 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंगलवार को महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी व शिवशंकर फतहपुरिया ने बताया कि श्री अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर अग्रवाल बंधुओं व मातृशक्ति की बैठक महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में प्रसिद्ध समाजसेवी रमेशचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। रमेशचंद अग्रवाल, अग्रवाल पाठशाला के अध्यक्ष सीताराम गोयल, सचिव गोपाल गोयल, पूर्व अध्यक्ष शंकर लाल बंसल तथा श्री अग्रसेन जयंती के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी व शिवशंकर फतहपुरिया एवं गोविंद प्रसाद गर्ग ने श्री अग्रसेन महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया।

ध्वजा रोहण 14 को:- श्री अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 8 की जगह 11 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, 14 सितंबर को वाहन रैली व ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होंगे।

550 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगा अजमेर का चेहरा

■ 110 विकास कार्य तेज़ी से प्रगतिरत

अजमेर, (कासं)। अजमेर को आधुनिक महानगर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 550.25 करोड़ रुपये की लागत से कुल 110 विकास परियोजनाएँ प्रगतिरत हैं। इनमें सड़क, पेयजल, विद्युत, जल निकासी सहित चिकित्सा एवं सामाजिक आधारभूत संरचना से जुड़े बहुआयामी कार्य शामिल हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है।

आयुक्त नित्या के के अनुसर योजना मद के अंतर्गत 176.32 करोड़ रुपये की लागत से 49 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें 74.42 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण, 50.53 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति, 8.83 करोड़ रुपये की विद्युत व्यवस्था, 11.79 करोड़ की जलनिकासी व्यवस्था तथा 30.95 करोड़ रुपये के अन्य कार्य शामिल हैं। यह सभी कार्य शहर के प्रमुख आवासीय क्षेत्रों और विस्तार योजनाओं में किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार गैर-योजना मद के अंतर्गत 100.83 करोड़ रुपये लागत के 48 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 42.33 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण, 5.52 करोड़ की लागत से विद्युत व्यवस्था, 28 करोड़ रुपये से जल निकासी और 24.98 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न अन्य कार्य शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य शहर के पुराने व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। इसके अलावा डिपोजिट मद के अंतर्गत 273.10 करोड़ रुपये लागत के महत्वपूर्ण कार्य भी तेजी से प्रगति पर हैं। इनमें कायड़ में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में सर्जिकल एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जनाना अस्पताल में गर्ल्स हॉस्टल, तथा पुष्कर शहर एंट्री गेट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्राधिकरण का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अजमेर शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट महानगर के रूप में एक नई पहचान मिलेगी।

आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण ने बताया कि सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे कार्यों को निर्बाध रूप से पूर्ण करवाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि अजमेर का समग्र विकास सुनिश्चत किया जा सके।

सेवादल संगठन को सक्रिय करने के लिए विधानसभा, ब्लॉक, मंडल व बूथ स्तर तक होगा पुनर्गठन

अजमेर, (कासं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों व सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक इंडोर स्टेडियम अजमेर में आयोजित की गई। अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस सेवादल का संगठन सर्जन अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत ने कहा कि सितंबर माह में सेवादल के 300 पदाधिकारियों का जिला स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अजमेर में आयोजित किया जायेगा। इससे पूर्व सेवादल संगठन को जिला, विधानसभा, ब्लॉक, मंडल व पोलिंग बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए इसका पुनर्गठन किया जायेगा, उन्होंने सेवादल संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओ को जोड़कर इसके पुनर्गठन के लिए अजमेर उत्तर व अजमेर दक्षिण क्षेत्र में अलग अलग समन्वयक भी बनाए हैं जो सेवादल संगठन के साथ ही यंग ब्रिगेड व महिला ब्रिगेड का गठन भी किया जायेगा। शेखावत ने कहा कि राहुल गाँधी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करें, उनके विचारों को आगे बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राहुल गाँधी की आवाज बनें, शेखावत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों, हार्डिकर जी के नैतृत्व, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू और प्रथम प्रशिक्षक सुभाष चंद्र के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के श्वेत सैनिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर 10 को

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। बाबा साहेब स्व. रतनलाल पाटनी की पुण्य स्मृति में आर के फाउंडेशन ट्रुप के आर्थिक सहयोग से 10 सितंबर को आर के कम्युनिटी सेंटर में निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया जायेगा। लायंस क्लब किशनगढ़ क्लासिक व महावीर विकलांग समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोज्य शिविर संयोजक राजेश पाटनी, सुनील केजरीवाल व निखिल सारडा ने बताया कि 21 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आर के कम्युनिटी सेंटर में उपयुक्त दिव्यांग का चयन किया जायेगा, ताकि 10 सितंबर को चयनित दिव्यांग को निःशुल्क ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, कैलिबर, जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ वितरण किया जा सके। अध्यक्ष अमित अगरवाल, सचिव रमाकांत काबरा ने पुनीत कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने पर आर के मार्बल (पाटनी परिवार) के प्रति आभार प्रकट करते हुए जरूरतमंद दिव्यांग से शिविर में भाग लेने से अपील की है।

बालिका स्कूल के लिए बन रहे भवन का क्या होगा उपयोग : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्यावर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाडा का विलय स्थानीय स्कूल में करने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि बालिका स्कूल के लिए बन रहे भवन का क्या उपयोग किया जाएगा। अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश प्रिया डामेर व अन्य छात्राओं की ओर से अपने परिजनों के जरिए दायर याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में शिक्षा विभाग के ब्यावर से जुड़े अधिकारी अदालत में पेश हुए। अदालत के पूछने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि बालिका स्कूल के लिए निर्माणाधीन भवन का काम एक माह में पूरा हो जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका स्कूल का विलय दूसरी स्कूल में कर दिया है। ऐसे में यह संभावना है कि निर्माणाधीन भवन का उपयोग किसी अन्य काम में हो। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में बताने को कहा है कि इस भवन का क्या उपयोग किया जाएगा।

याचिका में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाडा की छात्राएं हैं। राज्य सरकार ने गत 16 जनवरी को आदेश जारी कर इस स्कूल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाडा में विलय कर दिया। बालिका स्कूल की प्रिंसिपल ने विभाग को इसका विलय निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन विभाग ने विलय निरस्त नहीं किया। याचिका में कहा गया कि यह स्कूल 1973 में प्राथमिक विद्यालय के तौर पर स्थापित हुआ था। वहीं बाद में इसे समय-समय पर क्रमोन्नत किया गया। वर्तमान में आसपास के पांच गांव की करीब तीन सौ छात्राएं यहां अध्ययन करती है। इसके अलावा यहां अलग से अन्य कोई बालिका विद्यालय भी नहीं है।

शाहपुरा में बंद पड़ा केसरीसिंह बारहठ पेनोरमा कार्य

भीलवाडा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत शाहपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहठ पेनोरमा स्थल का निरीक्षण किया। स्थल पर काम बंद देखकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि संबंधित संवेदक को पाबंद कर कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पेनोरमा स्थल पर चैकीदारी कर रहे युवक से बातचीत के दौरान लखावत को जानकारी मिली कि संवेदक पिछले एक माह से काम पर नहीं आया है और चैकीदार को मेहनताना भी नहीं दिया है। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कार्य उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी स्थिति में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेनोरमा स्थल का काम शीघ्र गति से फिर शुरू कराया जाएगा।

लखावत ने कहा कि शाहपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने के लिए पेनोरमा निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा कराना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहठ और संत रामचरण महाराज के योगदान से प्रेरणा ले सकें। निरीक्षण के दौरान लखावत ने शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण महाराज पेनोरमा की प्रगति के बारे में भी अभियंता से जानकारी ली और वहां भी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शाहपुरा नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल सोनी, श्री प्रताप सिंह बारहठ सेवा संस्थान सचिव कैलाश जाड़ावत सहित प्राधिकरण के सहायक अभियंता भी मौजूद रहे।

RH **राजस्थान आवासन मण्डल**

हमारा प्रयास, सबको आवास

667 आवास/फ्लैट्स की 5 नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
के कर कमलों द्वारा

दिनांक: 20 अगस्त, 2025 | स्थान: आवास भवन, जयपुर

Flats At Dholpur, Phase III, Dholpur RAJ/P/2025/3996
Houses At Atru, Phase II, Baran RAJ/P/2025/3971
Houses At Nainwa Pocket A, Bundi RAJ/P/2025/4084
Houses At Nainwa, Pocket B, Bundi RAJ/P/2025/4058
Flats At Paneriyon Ki Madri, Phase I, Udaipur RAJ/P/2025/4065
Houses At Barmer RAJ/P/2025/4145

RERA Website: www.rera.rajasthan.gov.in

योजना का नाम		जिला	आय वर्ग	स्वतंत्र आवास की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)
नैनवा आवासीय योजना (SRS)	पॉकेट-A	बूंदी	एमआईजी-ए	9	32.35
			एलआईजी	12	22.15
			ईडब्ल्यूएस	23	11.05
			घरोंदा	12	7.80
	पॉकेट-B		ईडब्ल्यूएस	16	11.05
अटरू आवासीय योजना (SRS)		बारां	एचआईजी	13	51.10
			एमआईजी-बी	6	42.00
			एमआईजी-ए	31	31.40
			एलआईजी	89	21.50
			घरोंदा	50	7.60
लंगेरा आवासीय योजना (SRS)		बाड़मेर	ईडब्ल्यूएस	80	8.61
			एलआईजी	120	16.30

योजना का नाम	जिला	आय वर्ग	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)
बाड़ी रोड (SRS)	धौलपुर	ईडब्ल्यूएस (जी+3) फ्लैट्स	48	12.45 से शुरु
		एलआईजी (जी+3) फ्लैट्स	16	19.20 से शुरु
पनेरियों की मादड़ी (SRS)	उदयपुर	ईडब्ल्यूएस (जी+3) फ्लैट्स	80	11.68 से शुरु
		एलआईजी (जी+3) फ्लैट्स	62	15.00 से शुरु

आवेदन अवधि 20 अगस्त से 20 सितम्बर, 2025

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009
एवं मो. नं. 9461054291/92/319, 6376868696, 9460254319

वेबसाइट पर अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कैन करें

आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से

आवासन आयुक्त

राजस्थान संवाद